

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2022

स्थापना आदेश, परिपत्र, निविदा फॉर्म आदि

कुल -47 [स्थापना आदेश-43+ सतर्कता परिपत्र -2+निविदा -2 =47]

स्थापना आदेश-सं.86 से 128 तक कुल - 43

(113 - जारी नहीं किया गया, 126-रद्द किया गया)

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं- 86/2022	11.10.2022	अनुवाद किया गया	MK
2	आदेश सं- 87/2022	11.10.2022	अनुवाद किया गया	CTB
3	आदेश सं- 88/2022	11.10.2022	अनुवाद किया गया	CTB
4	आदेश सं- 89/2022	13.10.2022	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं- 89/2022 (2)	13.10.2022	अनुवाद किया गया	CTB
6	आदेश सं- 90/2022	14.10.2022	अनुवाद किया गया	CTB
7	आदेश सं- 91/2022	18.10.2022	अनुवाद किया गया	AAIP
8	आदेश सं- 92/2022	18.10.2022	अनुवाद किया गया	AAIP
9	आदेश सं- 93/2022	21.10.2022	अनुवाद किया गया	MK
10	आदेश सं- 94/2022	31.10.2022	अनुवाद किया गया	CTB
11	आदेश सं- 95/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
12	आदेश सं- 96/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
13	आदेश सं- 97/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
14	आदेश सं- 98/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
15	आदेश सं- 99/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
16	आदेश सं- 100/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
17	आदेश सं- 101/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
18	आदेश सं- 102/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं- 103/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
20	आदेश सं- 104/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
21	आदेश सं- 105/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
22	आदेश सं- 106/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
23	आदेश सं- 107/2022	28.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
24	आदेश सं- 108/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
25	आदेश सं- 109/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
26	आदेश सं- 110/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
27	आदेश सं- 111/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
28	आदेश सं- 112/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
	आदेश सं- 113/2022	---	जारी नहीं किया गया	-
29	आदेश सं- 114/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
30	आदेश सं- 115/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
31	आदेश सं- 116/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
32	आदेश सं- 117/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
33	आदेश सं- 118/2022	22.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
34	आदेश सं- 119/2022	24.11.2022	अनुवाद किया गया	AAIP
35	आदेश सं- 120/2022	30.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
36	आदेश सं- 121/2022	30.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
37	आदेश सं- 121/2022 (2) 119 का शुद्धिपत्र	30.11.2022	अनुवाद किया गया	AAIP
38	आदेश सं- 122/2022	30.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
39	आदेश सं- 123/2022	30.11.2022	अनुवाद किया गया	MK
40	आदेश सं- 124/2022	01.12.2022	अनुवाद किया गया	MK
41	आदेश सं- 125/2022	01.12.2022	अनुवाद किया गया	MK
	आदेश सं- 126/2022	---	रद्द किया गया	-
42	आदेश सं- 127/2022	30.12.2022	अनुवाद किया गया	MK
43	आदेश सं- 128/2022	30.12.2022	अनुवाद किया गया	AAIP

सतर्कता परिपत्र /2022 कुल - 2

क्रम सं	सतर्कता परिपत्र संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	सतर्कता जागरूकता सप्ताह परिपत्र	26.10.2022	अनुवाद किया गया	AAIP
2	सतर्कता परिपत्र 3/2022	30.11.2022	अनुवाद किया गया	MK

निविदा

क्रम सं	निविदा संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	ए सी खरीद	28.12.2022	अनुवाद किया गया	CTB
2	कुर्सी खरीद	28.12.2022	अनुवाद किया गया	CTB

MK-34
AAIP-6
CTB-7
47



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT

दिनांक: .12.2022

आदेश सं. : 128 / 2022

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के केडर में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदार को इस के साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भतों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	राफेल राजन	3162	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक 13.12.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारी /सम्बंधित अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 18.12.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

अन्वर अली टी. पी.
[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिककोड / तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/ अपील,कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (गोप.सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह ग अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक: .12.2022

आदेश सं.: 127/2022

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 में, 'ग्रुप बी' पद, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।


क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	सुनिल कुमार के	31.05.1971
2	बीना ए	06.04.1972
3	अरुण आर	21.12.1985
4	अरुण कुमार ए विजयन	21.08.1986
5	कविता एल	21.11.1972
6	अखिल टी के (अ.जा.)	17.04.1991
7	टी शेशु वेंकट कांत (अ.जा.)	06.03.1990
8	मनीष कुमार खटाना (अ.जा.)	19.12.1992
9	संदीप कुमार (अ.जा.)	04.04.1990
10	एस प्रणय (अ.जा.)	09.03.1988
11	जेकब जोसफ (अ.ज.जा.)	02.06.1986
12	पोतुराजु शिव प्रसाद (अ.ज.जा.)	23.05.1990
13	भास्करनाथ	05.08.1987
14	कपिल देव सुरीरा	16.04.1983
15	सीना ए मालेत	09.01.1973
16	मिनिमोल टी	03.05.1971

2. क्रमांक 9 में सूचित अधिकारी को छोड़कर, 1 से 12 तक के क्रमांकों में सूचित अधिकारियों को दिनांक 06.01.2023 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए, तथा 13 से 16 तक के क्रमांकों में सूचित अधिकारियों को दिनांक 01.01.2023 को य उसके बाद तथा दिनांक 09.01.2023 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

3. सीबीआईसी, नई दिल्ली में ऋण के आधार पर काम करने वाला क्रमांक 9 में सूचित अधिकारी मूल क्षेत्र में फिर से शामिल होने के बाद ही अधीक्षक का प्रभार ग्रहण करेगा, और 09.01.2023 के बाद न

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011,OP(CAT)सं.999/2012,OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAS.180/00806/2014में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबंधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.01. 2023 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।



[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिककोड/ले.प./सीसीपी
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु.कोच्चि
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु. कोयिककोड
8. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिककोड/ ले.प./सीसीपी
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
10. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT

दिनांक: .12.2022

आदेश सं.: 125 / 2022

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के केंद्र में
स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केंद्र में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मोहन जोसफ, अधीक्षक	25.05.1968	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
2.	रश्मी आर, अधीक्षक	20.05.1970	कर बकाया अनुभाग, मु.कोच्चि	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ कर बकाया अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	मोहनन के के, अधीक्षक	14.03.1966	कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण आदेश हो चुके (सी सं. II/39/01/2022.Vig.Cx.Chn दिनांक 22.11.2022 के द्वारा)	पेरुम्बावूर मंडल

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक 05.12.2022 तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

4. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 09.12.2022 तक मिलनी चाहिए ।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मु.कोच्चि के अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
5. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT

दिनांक: 01.12.2022

आदेश सं.: 124 / 2022

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में
स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बालगोपाल बी	24.01.1993	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	एर्णाकुलम मंडल
2.	मरियम लिसा जॉन	09.01.1998	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	काक्कनाड रेंज 2
3.	साबिन ईपन आदिचित्रा	27.09.1995	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	कोलेनचेरी रेंज
4.	नितिन जोसफ	05.09.1995	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	एर्णाकुलम रेंज 4
5.	निखिल एस बाबु	03.09.1994	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	सतर्कता अनुभाग, मु.कोच्चि
6.	डेन्नी जॉर्ज	16.03.1995	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	कोतमंगलम रेंज
7.	अनिल एस कुमार	08.02.1990	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को तैनाती के आदेश हो चुके	पेरुम्बावूर मंडल
8.	संजय	20.02.1998	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को	एर्णाकुलम मंडल

			तैनाती के आदेश हो चुके	
9.	पूजा गुप्ता	06.12.1985	केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्थानांतरण के आदेश हो चुके(मु.आ.का. के GCCO/III/(39)/43/2021-ADMN दिनांक 04.11.2022 के द्वारा)	समीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
10.	संजय प्रदीप	10.03.1996	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि
11.	प्रियंका पुष्पद	01.07.1992	कर बकाया अनुभाग, मु.कोच्चि	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण अनुभाग का अतिरिक्त प्रभार के साथ कर बकाया अनुभाग, मु.कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को(क्रम सं.1 से 8 तक को छोड़कर) उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक 05.12.2022 तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. केरल पुलिस अकादेमी(केपा) त्रिशूर में दिनांक 05.12.2022 से 21.12.2022 तक आयोजित होने वाले 'आर्म्स एंड परेड ट्रेनिंग' के पूरा होने के बाद क्रम संख्या 1 से 8 (सीजीएलई 2019 बैच की नई भर्ती) में सूचित अधिकारी अपने-अपने तैनाती स्थानों में पदभार ग्रहण करेंगे। अधिकारियों को दिनांक 04/12/2022 को अपराह्न 4 बजे एडी (आउटडोर), केपा के समक्ष प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना है।

4. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

5. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 तक मिलनी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मु.कोच्चि के अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
- मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
- प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
- अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/35/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 123 / 2022

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74114)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि :05.05.1996) को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (₹.44,900- ₹.1,42,400) में दिनांक 22.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि : 05.05.1996) को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि : 05.05.1996) स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

गोपनीय

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार मीना,
सुपुत्र राम प्रताप मीना,
45-बी प्रेम विहार कॉलोनी,माछ की पिपली,
गोनेर रोड,
जयपुर, राजस्थान 302031

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/35/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 122 / 2022

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74091)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री दिलीप एम को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 17.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री दिलीप एम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री दिलीप एम स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री दिलीप एम,

साई सौधम,मंतक्काड,

मलमपुया डाक,

पालक्काड, केरल - 678651

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/72/2021-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 121 / 2022

विषय : आदेश सं .119/2022 का शुद्धिपत्र -सं ।

आदेश सं. 119/2022 दिनांक 16.11.2022 में क्रमांक 11 श्री सुनील गोपीनाथन, निरीक्षक के संबंध में तारक चिह्न के लिए फुट नोट को "श्री सुनील गोपीनाथन, निरीक्षक के संबंध में दिनांक 06.12.2012 को तीसरा एमएसीपी (एमएसीपी आदेश संख्या 152/2016 दिनांक 26.09.2016 द्वारा सूचित) प्रदान करने वाले दिनांक 20.09.2020 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की सिफारिश को बोर्ड के पत्र फा.सं.ए-26017/214/2017 -Ad. II A दिनांक 14.07.2021 के अनुसार समीक्षा की जाती है" के रूप में पढ़ा जा सकता है ।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अन्वर अली टी पी

(अन्वर अली टी पी)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्तियाँ (पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/ अपील कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रतिलिपि :

1. अपर /संयुक्त आयुक्त(का व सत), तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक), कोचिन
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोचिन
3. सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त, एर्णाकुलम मंडल/ काक्कनाड मंडल/पेरुम्बावूर मंडल/इडुक्की मंडल/ त्रिशूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ अधीक्षक(ई.डी.पी.), मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), मु.कोच्चि
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
7. महासचिव, ग्रुप 'ख' व 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 121 / 2022

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74092)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.मरियम लिसा जॉन को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 16.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 कु.मरियम लिसा जॉन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.मरियम लिसा जॉन स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

कु.मरियम लिसा जॉन,

आर्यकुलम हाउस,

पोनकुन्नम डाक, कोट्टयम, केरल - 686506

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको
2. विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 120 / 2022

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित ।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बालगोपाल बी	24.01.1993	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	जिनु एम आर	01.10.1993	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	दिलीप एम	22.03.1990	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
4.	मरियम लिसा जॉन	09.01.1998	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
5.	साबिन ईपन आदिचित्रा	27.09.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6.	नितिन जोसफ	05.09.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
7.	निखिल एस बाबु	03.09.1994	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

8.	रोशन थॉमस जॉर्ज	10.08.1991	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
9.	कृष्णा एस	06.06.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
10.	मोहम्मद मुस्तफा रशीद ए के	11.08.1994	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
11.	अशोक पी	29.05.1996	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
12.	डेन्नी जॉर्ज	16.03.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
13.	अजित कृष्णन वी एस	09.08.1994	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
14.	निबिन के एन	09.04.1996	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
15.	अभिजीत के एस	06.10.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
16.	अनिल एस कुमार	08.02.1990	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
17.	विनय कुमार वी	28.01.1990	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
18.	चेतन शर्मा	16.02.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
19.	अश्वंत राज	19.10 .1993	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
20.	अरुण एस	02.11.1993	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
21.	प्रदुमन सिंह	25.09.1998	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
22.	संजय	20.02.1998	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

23.	अशोक कुमार मीना	03.10.1994	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
24.	दिनेश कुमार मीना	01.03.1995	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
25.	जितेन्द्र कुमार मंडल	06.08.1996	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय कोचिन
26.	दिनेश कुमार मीना(सं.॥)	05.05.1996	सीजीएलई 2019 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
27.	अजीत सिंह चौधरी	17.08.1988	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
28.	वीरेंद्र कुमार	10.01.1979	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
29.	अनंधु नानू उदयनन	11.04.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	डीआरआई तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ- सीसीए

2. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक 28.11.2022 तक कार्यग्रहण करना चाहिए | अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. लेखा परीक्षा आयुक्तालय एवं डीआरआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

5. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 30.11.2022 तक मिलनी चाहिए ।



[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा ,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

दिनांक: 16.11.2022

आदेश सं.: 119/2022

विषय : एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-5-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड/ पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बैजु आर., अधीक्षक	23.04.1971	तृतीय	20.11.2022	स्तर -10
2.	रजित एस., अधीक्षक	31.05.1973	तृतीय	01.09.2022	स्तर -10
3.	जयश्री पी., अधीक्षक	16.02.1963	तृतीय	31.12.2017	स्तर -10
4.	संतोष कुमार पी वी, अधीक्षक	25.05.1973	तृतीय	31.10.2013	स्तर -8
5.	राजी डी आर, अधीक्षक	15.11.1967	तृतीय	11.12.2021	स्तर -10
6.	शशि कान्त सिंह, निरीक्षक	02.10.1982	प्रथम	28.02.2023	स्तर -8
7.	सिनी ब्रिजित थॉमस, निरीक्षक	11.07.1973	तृतीय	23.12.2022	स्तर -9
8.	अरविन्द कुमार कज्जा, निरीक्षक	19.08.1985	प्रथम	30.01.2023	स्तर -8
9.	गुलशन कुमार, निरीक्षक	08.11.1985	प्रथम	17.09.2022	स्तर -8
10.	कमल कुमार, निरीक्षक	13.10.1988	प्रथम	25.10.2022	स्तर -8
11.	सुनिल गोपीनाथन, निरीक्षक	13.06.1969	तृतीय	17.10.2013	स्तर -8
12.	प्रफुल भंडारी, निरीक्षक	28.03.1991	प्रथम	25.10.2022	स्तर -8
13.	संतोष रावत, निरीक्षक	15.07.1984	प्रथम	03.09.2022	स्तर -8
14.	वीरेश मिश्रा, निरीक्षक	04.09.1985	प्रथम	14.03.2023	स्तर -8
15.	बादल गफूर ए, निरीक्षक	13.05.1986	प्रथम	06.09.2022	स्तर -8

16.	परिवेश कुमार स्वामी, निरीक्षक	23.01.1986	प्रथम	04.09.2022	स्तर -8
17.	चेतन गुप्ता, निरीक्षक	05.11.1984	प्रथम	05.11.2022	स्तर -8
18.	श्याम कुमार शर्मा, निरीक्षक	10.03.1984	प्रथम	03.09.2022	स्तर -8
19.	रजनीश, निरीक्षक	20.03.1983	प्रथम	31.12.2022	स्तर -8
20.	अरविन्द गुलिया, निरीक्षक	24.10.1986	प्रथम	06.09.2022	स्तर -8
21.	विवेक कुमार त्रिवेदी, निरीक्षक	01.12.1989	प्रथम	27.09.2022	स्तर -8
22.	सहदेवन वी, हेड हवलदार	05.07.1962	तृतीय	22.02.2021	स्तर -4
23.	के पी वेणुगोपालन, हेड हवलदार	22.05.1965	तृतीय	18.02.2022	स्तर -4
24.	उष्णिक्कृष्णन पी ओ, हेड हवलदार	31.05.1973	तृतीय	04.01.2023	स्तर -4
25.	एंड्रू पॉल एम जी, हेड हवलदार	15.01.1964	तृतीय	30.01.2022	स्तर -4
26.	अनिल कुमार पी एम, हेड हवलदार	09.05.1964	तृतीय	17.02.2022	स्तर -4
27.	गीता के एन, एमटीएस	17.02.1963	द्वितीय	20.05.2022	स्तर -4
28.	चन्द्रशेखरा के, हेड हवलदार	15.09.1964	तृतीय	25.02.2021	स्तर -4
29.	राजन के टी एम, हेड हवलदार	17.07.1963	तृतीय	17.02.2022	स्तर -4
30.	कृष्णकुमार के, एमटीएस	02.01.1963	तृतीय	09.01.2022	स्तर -4

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थियों को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एम ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारियों के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एम ए सी पी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में 'वरिष्ठ-कनिष्ठ' की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एम ए सी पी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एम ए सी पी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एम ए सी पी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और जिम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1)

के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.जा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगा DOP & T का.जा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एम ए सी पी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने ए सी पी योजना(अगस्त 1999) और एम ए सी पी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन के लिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने पत्र D.No.62460/US(D)/2010 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा स्पष्ट किया है कि 4 साल को पूरा करने के बाद अधीक्षक (ग्रुप ख) अधिकारियों को प्रदान की गई गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को दिनांक 19.05.2009 के का.जा. के अनुबंध-1 की पैरा 8.1 के अनुसार उन्नयन के रूप में समझा/देखा जा सकता है तथा उसी को एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बराबर का समझा जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अन्वर अली टी पी
(अन्वर अली टी पी)

अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबंधित व्यक्तियों (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/अपील, कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, गोपनीय /सतर्कता, कोचिन मुख्यालय /प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करें।

6. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 118 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74113)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति-संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि :01.03.1995) को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 11.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि :01.03.1995) को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री दिनेश कुमार मीना (जन्मतिथि :01.03.1995) स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धार के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

ठागौर

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार मीना,
सुपुत्र सोआ लाल मीना,
पवैनी गाँव, सरमथुरा डाक,
तहसिल -सरमथुरा, जिला -धोलपुर,
राज्य -राजस्थान, पिन : 328026

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 117 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74101)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अजितकृष्णन वी एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 10.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री अजितकृष्णन वी एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अजितकृष्णन वी एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अजितकृष्णन वी एस,
मंगलतु वीडु, कुलक्कुडी,
वेलमानूर डाक, परिप्पल्ली,
कोल्लम,केरल, पिन : 691574

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 116 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74098)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री मोहम्मद मुस्तफा रशीद ए के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 10.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री मोहम्मद मुस्तफा रशीद ए के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री मोहम्मद मुस्तफा रशीद ए के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री मोहम्मद मुस्तफा रशीद ए के ,
आलक्काडन हाउस, अरिक्कुयी,
पालक्कलवेट्टा डाक,
मलप्पुरम जिला,पिन - 679327

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 115 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74096)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री रोशन थॉमस जॉर्ज को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 10.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री रोशन थॉमस जॉर्ज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री रोशन थॉमस जॉर्ज स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री रोशन थॉमस जॉर्ज,

कुन्नम्पल्लिल हाउस,

काट्टुमुंडा, नडुवत डाक,

वंडूर के रस्ते, मलप्पुरम जिला,पिन - 679328

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिककोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 114 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74090)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री जिनु एम आर को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 07.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री जिनु एम आर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री जिनु एम आर स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री जिनु एम आर,

मच्चत हाउस, किनवल्लूर,

पश्चिम पल्लो डाक,

पालक्काड, केरल - 678612

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 112 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74102)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री निबिन के एन को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 02.11.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री निबिन के एन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री निबिन के एन स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री निबिन के एन,

करिम्बल हाउस, पल्लम डाक,

देशमंगलम के रस्ते, त्रिशूर,

केरल - 679532

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 111 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74104)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अनिल एस कुमार को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 28.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अनिल एस कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अनिल एस कुमार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अनिल एस कुमार,
49 1251 सी नीलांजनम,
पोणेक्करा रोड, इडप्पल्ली,
एर्णाकुलम, केरल - 682024

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 110 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74095)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री निखिल एस बाबु को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 28.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री निखिल एस बाबु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री निखिल एस बाबु स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री निखिल एस बाबु,
केपी 11/800 एनआरए सी4 कृष्ण कृपा,
चुन्डविला लेन, पेरूरकडा डाक,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695005

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय


OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 109 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74089)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री बालगोपाल बी को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 28.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री बालगोपाल बी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री बालगोपाल बी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री बालगोपाल बी,

मिनी कॉटेज, वीकेआरए - 97, फोर्ट वार्ड नेय्याटिनकरा,

तिरुवनंतपुरम, केरल - 695121

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 108 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74103)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के सम्बंधित नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अभिजीत के एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 27.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अभिजीत के एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अभिजीत के एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

गनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अभिजीत के एस,
हरिश्री वरिक्कप्लाविला वीडु,
रामपुरम अथियन्नूर,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695123

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 107 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74115)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित/ अस्थि विकलांग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री जितेन्द्र कुमार मंडल को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री जितेन्द्र कुमार मंडल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री जितेन्द्र कुमार मंडल स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार मंडल,

सुपुत्र ठाकुर मंदर,

हथियापतर गाँव,बन्दो डाक,

हरिपुर थाना,दुमका मुफसिल, जिला -दुमका,

राज्य -झारखण्ड, पिन : 814101

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 106 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74100)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री डेन्नी जॉर्ज को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री डेन्नी जॉर्ज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री डेन्नी जॉर्ज स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री डेन्नी जॉर्ज,

आनिकोटिल हाउस, आवोली डाक,

मुवाट्टुपुया, एर्णाकुलम, केरल - 686670

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 105 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74099)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अशोक पी को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री अशोक पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अशोक पी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अशोक पी,

द्वारका निला एडतरा डाक,

पर्लि -II, पालक्काड, केरल - 678611

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 104 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74097)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्रीमती कृष्णा एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्रीमती कृष्णा एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्रीमती कृष्णा एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्रीमती कृष्णा एस,

कमलालयम कडवूर, पेरिनाड डाक,

त्रिक्कडवूर, कोल्लम, केरल - 691601

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 103 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74112)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अशोक कुमार मीना को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अशोक कुमार मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अशोक कुमार मीना स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अशोक कुमार मीना,

पी -13, दूसरी मंजिल,

दक्षिण एक्सटेंशन भाग - II, नई दिल्ली - 110049,

दक्षिण दिल्ली - 110049

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 102 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74110)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री संजय को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री संजय को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री संजय स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

गोप

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री संजय,

सुपुत्र सतीश कुमार, हाउस सं.36,

लोधना गाँव, बोलनी डाक,

रेवारी जिला, हरयाणा, पिन : 123401

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 101 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74109)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री प्रदुमन सिंह को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री प्रदुमन सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री प्रदुमन सिंह स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

कॉपी

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रदुमन सिंह,

ए -117 शांति कॉलोनी,

मंदी पहरी, दक्षिण दिल्ली,

दिल्ली - पिन - 110047

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 100 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74108)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अरुण एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री अरुण एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अरुण एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अरुण एस,

हरिजन कॉलोनी, ब्लॉक सं.25,

पुन्नप्रा डाक,आलप्पुरा

केरल - 688004

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 99 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74107)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अश्वंत राज को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अश्वंत राज को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अश्वंत राज स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारण के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अश्वंत राज,

अजित हाउस,रेलवे स्टेशन के पास,

कोयिलान्डी डाक

केरल - 673305

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 98 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74106)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री चेतन शर्मा को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री चेतन शर्मा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री चेतन शर्मा स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री चेतन शर्मा,
वार्ड सं 1, दुर्गा कॉलोनी,
नोहर, हनुमानगढ़ डाक
राजस्थान - 335523

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 97 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74105)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री विनय कुमार वी को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री विनय कुमार वी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री विनय कुमार वी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

परीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री विनय कुमार वी,
मूयियिल वडक्कतिल वीडु,
कलवयल ओयूर डाक, कोल्लम, केरल - 691510

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 96 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74094)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री निथिन जोसफ को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री निथिन जोसफ को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री निथिन जोसफ स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री निथिन जोसफ,

टीसी 14/1710, पुत्तेनतरयिल, कडक्कल लेन,

मेडिकल कॉलेज डाक, कण्णम्मूला, तिरुवनंतपुरम, केरल - 695011

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको

विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिककोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

दिनांक: .11.2022

आदेश सं.: 95 / 2022

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/74093)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2019' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 21.10.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 13.07.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री साबिन ईपन आदिचित्रा को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.10.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री साबिन ईपन आदिचित्रा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री साबिन ईपन आदिचित्रा स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री साबिन ईपन आदिचित्रा,
आदिचित्रा हाउस, मन्नाडिशाला डाक,
वेचूचिरा, पत्तनमतिट्टा, केरल - 686511

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको

विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File.No.II(25)/38/2020-ESTT.

दिनांक: 31.10.2022


आदेश सं.: 94/2022

विषय : श्रीमती राजी के.आर., अधीक्षक,सीपीडी त्रिशूर, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि ने श्रीमती राजी के आर, अधीक्षक, सीपीडी त्रिशूर, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय को 31.10.2022(अपराहन) से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी है, जो उनके दिनांक 14.10.2022 के अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन है।

2. यह सूचित किया जाता है कि तीन महीने की अवधि की नोटिस की आवश्यकता में ढील देने के उनके अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के अधीन स्वीकार कर लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी 14.01.2023 (यानी, तीन महीने की नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख) से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के कम्युटेशन के लिए आवेदन नहीं करेगा। इस आशय का एक वचनबंध अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को तत्काल प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. श्रीमती राजी के.आर., अधीक्षक के संबंध में लंबित सभी देय राशियों, यदि कोई हो, को नियमानुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल किया जा सकता है।


(सी टी बिंदु)

उप आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्रीमती राजी के आर,

अधीक्षक,(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

सीमा शुल्क निवारक मंडल,त्रिशूर,

सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

2.सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रतिलिपि

1. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक मंडल,त्रिशूर - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), सीमा शुल्क निवारक मंडल,त्रिशूर
4. अधीक्षक (गोप./सत.),सीसीपी/ केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT

दिनांक: .10.2022

आदेश सं.: 93 / 2022

विषय : -केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के केंद्र में
स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

दिनांक 22.09.2022 के इस कार्यालय आदेश 83/2022 को जारी रखते हुए, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केंद्र में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	शत्रुघ्न कुमार	20.10.1989	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु., कोच्चि को स्था.के तहत	पेरुम्बावूर मंडल में ही रखा गया
2.	विक्रान्त कुमार वर्मा	09.02.1993	पेरुम्बावूर मंडल को स्था.के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु., कोच्चि
3.	सुकुमारन एम	25.05.1974	कट्टप्पना रेंज को स्था.के तहत	आलुवा रेंज
4.	रविचन्द्र के	20.08.1992	आलुवा रेंज	एलूर रेंज
5.	कन्हैया कुमार	10.09.1993	एर्णाकुलम रेंज 4 को स्था.के तहत	कट्टप्पना रेंज में ही रखा गया
6.	आदर्श कुमार	05.12.1994	त्रिशूर मंडल को स्था.के तहत	पेरुम्बावूर मंडल
7.	यूडिक परेरा	06.10.1988	एलूर रेंज	आलुवा मंडल

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक 31.10.2022 तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

4. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.11.2022 तक मिलनी चाहिए ।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

मनीष

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मु.कोच्चि के अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
5. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक: 18.10.2022

आदेश सं.: 92 / 2022

विषय : निजी सचिव /आशुलिपिक श्रेणी-II की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां -
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

निजी सचिव /आशुलिपिक श्रेणी- II की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्व श्रीमती)	कर्मचारी कोड	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	रानी सोमन निजी सचिव	12	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2	हब्बी षीबन, आशुलिपिक श्रेणी -II	9166	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अन्वर अली टी पी

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्तियों(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/लेखा परीक्षा/लेखा परीक्षा
3. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि / अपील /लेखा परीक्षा
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: .10.2022

आदेश सं.: 91 / 2022

विषय : - हेड हवलदार की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हेड हवलदार की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	जॉय पी वी हेड हवलदार	8365	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अपील, कोच्चि	मु.,कोच्चि, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	प्रवीण वी नायर हेड हवलदार	2525	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.के तहत	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अपील, कोच्चि

- उपर्युक्त अधिकारी को अपने नए तैनाती स्थान में दिनांक 28.10.2022 तक कार्यग्रहण करना है।
- आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.11.2022 तक मिलनी चाहिए।

अन्वर अली टी पी

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त [का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड/ तिरुवनंतपुरम
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि

4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

5. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील,कोच्चि

6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप/ सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक: 14.10.2022

आदेश सं.: 90/2022

विषय : आशुलिपिक श्रेणी-II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक श्रेणी- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/कुम./श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	हब्बी पीबन,	17.11.1977	डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई (सीसीओ-सीसीए से स्थानीय क्रमावार्ती स्थानान्तरण आधार पर)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2	अंकित कुमार	13.06.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि (कार्य व्यवस्था के आधार पर अस्थायी तैनाती)	संयुक्त आयुक्त (न्यायनिर्णयन) की इकाई एवं संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा) की इकाई, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्तियों(सम्बन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/लेखा परीक्षा
3. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि / लेखा परीक्षा मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: 13.10.2022


आदेश सं.: 89 / 2022

विषय : - हेड हवलदार की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आदेश सं.81/2022 दिनांक 23.09.2022 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवालदार की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	क्रिस्टोफर एन ए हेड हवलदार	8364	तोडुपुया रेंज को स्था आ. के तहत	एर्णाकुलम रेंज -1,2,3,4,5 व 6

- उपर्युक्त अधिकारी को अपने नए तैनाती स्थान में दिनांक 21.10.2022 तक कार्यग्रहण करन है ।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 27.10.2022 तक मिलनी चाहिए ।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

- केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

दिनांक: 11.10.2022

आदेश सं.: 89/2022

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 71/2022 दिनांक 18.08.2022 के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश दिया जाता है:

- श्रीमती माया चंद्रन, सहायक आयुक्त को डीजीएआरएम का प्रभार दिया गया है।
- तदनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	प्रशासन, का.व सत., सी आर यू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, न्यायनिर्णयन, एवं सिस्टम्स	हारिसण एंटणी	माया चंद्रन
2	शांति वी	आलुवा मंडल, तकनीकी, संसद प्रश्न, आरएफडी एवं सांख्यिकी	माया कुरियन माया चंद्रन	अजिता पी. सी.टी. बिंदु
3	हारिसण एंटणी	अपवंचनरोधी, मु, मुकदमा, सत्यापन कक्ष एवं विधिक	सी.टी. बिंदु	शांति वी
4	माया चंद्रन	लेखा परीक्षा, सूचना अधिकार (केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण, समीक्षा, कर बकाया वसूली, एसवीएलडीआएस, जी एस टी कक्ष एवं डीजीएआरएम	शांति वी	हारिसण एंटणी
5	अनिल राज आर	एर्णाकुलम मंडल	अजिता पी	माया कुरियन
6	अजिता पी	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	शांति वी

7	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
8	दीपक कुमार	त्रिशूर मंडल	माया कुरियन	एन.एस. जयश्री
9	एन. एस. जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
10	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल, संरचना, कल्याण,खेल	एन. एस. जयश्री	अजिता पी

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: .10.2022

आदेश सं.: 88/2022

विषय : - हेड हवलदार की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हेड हवलदार की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	के ए नैनान हेड हवलदार	8662	विमान पत्तन /यूबी/आईव ई, करिपूर) सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि को स्था आ. के तहत	सीसीओ-सीसीए (डीजीजीआई)

- उपर्युक्त अधिकारी को अपने नए तैनाती स्थान में दिनांक 21.10.2022 तक कार्यग्रहण करन है।
- आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 27.10.2022 तक मिलनी चाहिए।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड/ तिरुवनंतपुरम
- आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा,कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

5. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील,कोच्चि

6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप/ सहायक आयुक्त
3. विमान पतन, करिपूर /ट्रिवेनड्रम के सीमा शुल्क उप/ सहायक आयुक्त
4. एसीसी(यूबी), करिपूर /ट्रिवेनड्रम के सीमा शुल्क उप/ सहायक आयुक्त
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
7. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि /कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
8. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/20/2022-Estt.

दिनांक : 11.10.2022


आदेश सं.: 87/2022

विषय : निम्न श्रेणी लिपिक कैंडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

निम्न श्रेणी लिपिक कैंडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश इसके साथ तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	राकेश के आर., निम्न श्रेणी लिपिक	9869	मु.अनुभाग,मु.कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी	मु.अनुभाग,मु.कोच्चि तथा केयर टेकर,मु. कोच्चि
2.	करुण विजय एम., निम्न श्रेणी लिपिक	2711	मु.अनुभाग,मु.कोच्चि	मु.अनुभाग,मु.कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी

2.यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)
प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
प्रति :1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी) डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2.अधीक्षक))सिस्टम्स/(अधीक्षक) मु(., केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt

दिनांक : 11.10.2022

आदेश सं.: 86/2022

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 65/2022 दिनांक 26.07.2022 के आंशिक संशोधन में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश इस के साथ दिया जाता है।

2. स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता तथा न्यायनिर्णयन और सभी लिगेसी कार्य के साथ त्रिशूर मंडल का पर्यवेक्षण श्री अन्वर अली, अपर आयुक्त को सौंपा गया है। प्रशासन, भविष्या एवं लेखा श्री शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त को सौंपा गया है। सी आर यू, राजभाषा तथा न्यायनिर्णयन और सभी लिगेसी कार्य के साथ चालक्कुडी मंडल का पर्यवेक्षण श्री जे. हरीश, संयुक्त आयुक्त को सौंपा गया है।

3. तदनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्त के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	मुख्यालय निवारक, मुकदमा, जन संपर्क, खेल, जीएसटी कक्ष, आधारीक संरचनाकक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, इडुक्की एवं त्रिशूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के के न्यायनिर्णयन तथा लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
2	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), समीक्षा, जीएसटी	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

		सेवा केंद्र, सत्यापन कक्ष, प्रशासन, भविष्या, लेखा, पेरुम्बावूर एवं काक्कनाड केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य		
3	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण, तकनीकी, सांख्यिकी एवं आसूचना, संसद प्रश्न, आर.एफ.डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, डी.जी.ए.आर.एम, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, सी आर यू, राजभाषा, आलुवा, एर्णाकुलम और चालक्कुडी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त



[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com

Phone: 0484-2390404

फा.सं.F.No.GEXCOM/VIG/MISC/491/2022-VIG

दिनांक /Date : 26.10.2022

विषय : सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 - अनुपालन - सम्बंधित |

Sub: Observance of Vigilance Awareness Week, 2022 - Regarding

जैसा कि आप जानते हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 31, अक्टूबर, 2022 से 6, नवंबर, 2022 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय “**Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत**” है। सीवीसी ने दिनांक 08/09/2022 को एक परिपत्र संख्या 20/09/2022 जारी किया है जिसे सीवीसी की वेबसाइट "<https://cvc.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है।

As you are aware, the **Vigilance Awareness Week, 2022** is being observed from **31st October, 2022 to 6th November, 2022**. The theme for this year's Vigilance Awareness Week is “**Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत**”. CVC has issued a Circular No.20/09/2022 dated 08/09/2022 which may be downloaded from the CVC website “<https://cvc.gov.in>”

2. आयुक्तालय/मंडलों/रेंजों के सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुपालन में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाएं।

All controlling officers of the Commissionerate/Divisions/Ranges are directed to observe the “Vigilance Awareness Week” in adherence with the Circular cited above.

3. सभी मंडल य प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे निवारक सतर्कता सह अंतर-हाउसकीपिंग गतिविधियों पर जोर देकर और ध्यान केंद्रित करके गतिविधियों को व्यवस्थित करें, जिन्हें परिपत्र में उल्लिखित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में अभियान मोड में शुरू किया जाना है।

All the divisional heads are directed to organize the activities by giving emphasis and focus on Preventive Vigilance cum internal housekeeping Activities which are to be taken up in campaign mode as part of the Vigilance Awareness Week as enumerated in the circular.

4. आपको सप्ताह के दौरान सीवीसी की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर जाने और एक नागरिक के रूप में ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा में भाग लेने / लेने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के अंत में प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा।

You are also directed to visit the CVC website www.cvc.nic.in during the week and participate / take the online Integrity Pledge as a citizen. The certificate of commitment shall be generated at the end of the Integrity Pledge.

5. मंडल प्रमुख अपने संबंधित कार्यालयों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाने के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करेंगे।

The divisional heads shall formulate suitable action plan at their respective offices to observe "Vigilance Awareness Week" in a befitting manner.

6. "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" को मनाए जाने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रोफोर्मा में दिनांक 5 नवम्बर, 2021 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवाएं।

A compliance report on the observance of the "Vigilance Awareness Week" shall be sent in the prescribed proforma to this office, latest by 15th November, 2022.



[अन्वर अली टी पी /Anwar Ali T.P.]

अपर आयुक्त (का. व सत.) / ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

सेवा में / To

संभो मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप / सहायक आयुक्त

The Deputy/Assistant Commissioners in charge of All Divisions

(Display the banners in the building premises and Instructions to field formations regarding the observance of "Vigilance Awareness Week" may be issued)

मुख्यालय, कोचिन के सभी अपर / संयुक्त / उप / सहायक आयुक्त

All Addl./Joint/Deputy/Assistant Commissioners in Hqrs Office, Cochin.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. मुख्यालय, कोचिन के सभी के सभी अनुभाग प्रमुख / All Section Heads in Hqrs Office, Cochin

2. अधीक्षक (जन संपर्क अधिकारी), मुख्यालय, कोचिन

The Superintendent (PRO), Hqrs Office, Cochin, for making arrangements in connection with the observance of the Vigilance Awareness Week.

3. अधीक्षक (ई.डी.पी.) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु / **The Superintendent (EDP) for uploading in website**

प्रतिलिपि प्रस्तुत है : मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

Copy submitted to the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com

Phone: 0484-2390404

फा.सं.F.No.GEXCOM/VIG/MISC/629/2022-VIG

सतर्कता परिपत्र सं .03/2022 / VIGILANCE CIRCULAR No.03.2022

विषय : - एईबीएस प्रणाली में उपस्थिति का अंकन- बायोमेट्रिक उपस्थिति का पुनरारंभ - सम्बंधित ।

Sub: Marking of Attendance in AEBAS System –Resumption of Biometric Attendance - Regarding

तत्काल प्रभाव से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

It has been decided to resume biometric attendance for all levels of employees with immediate effect.

इस संबंध में, सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

In this regard, the following instructions are issued for strict compliance.

1) सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एईबीएस मशीनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

All officers to mark their attendance in the AEBAS machines with immediate effect.

2) सभी प्रभागीय सहायक / उपायुक्तों को बायोमेट्रिक मशीनों की उचित स्थापना / कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ।

All Divisional Assistant/ Deputy Commissioners to ensure proper installation/ working of Biometric Machines.

3) सतर्कता परिपत्र संख्या 02/2019 दिनांक 17.01.2019 (संलग्न) में, एईबीएस प्रणाली में उपस्थिति के अंकन के संबंध में, दिए गए सभी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना है।

All instructions in Vigilance Circular No.02/2019 dated 17.01.2019 (enclosed) regarding marking of attendance in AEBAS System to be strictly followed.

4) रिपोर्टिंग अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी अधीनस्थ अधिकारी उनके अधीन उचित रूप से मैप किए गए हैं और सिस्टम में उनकी उपस्थिति को ठीक से चिह्नित कर रहे हैं। यदि अधिकारी बीएस में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं या बीएस में छुट्टी के बिना अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो रिपोर्टिंग / नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एईबीएस रिकॉर्ड में अधिकारियों के उचित मानचित्रण के लिए

प्रभागीय कार्यालयों द्वारा पदानुक्रमित संरचना के बारे में एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जानी चाहिए।

It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report regarding the hierarchical structure should be sent by Divisional Offices immediately for proper mapping of officers in AEBAS records.

- 5) सभी सहायक/उपायुक्तों को यह जांचने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों को ठीक से मैप किया गया है या नहीं, उनकी उपस्थिति सत्यापित करें और जांचें कि क्या इसमें की गई प्रविष्टियां परिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं के अनुपालन में हैं।

All Assistant /Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their attendance and check whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in the Circular.

मनीष

[मनीष कुमार /MANEESH KUMAR
आयुक्त / COMMISSIONER

सेवा में / To

1. उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय, कोच्चि

The Deputy/Assistant Commissioner, Headquarters Office, Kochi

2. उप /सहायक आयुक्त,

एर्णाकुलम /काक्कनाड/ आलुवा/ पेरुम्बावूर/ त्रिशूर/ इडुक्की/ चालक्कुडी मंडल

The Deputy/Assistant Commissioner,

Ernakulam/Kakkanad/Aluva/Perumbaavoor/Thrissur/Idukki/Chalakkudy
Division

3. मुख्य लेखा अधिकारी, मु., कोच्चि / **The Chief Accounts Officer, Hqrs. Office, Kochi**

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

Copy submitted to

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

**The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise,
Thiruvananthapuram Zone**

2. आयुक्त (अपील), कोचिन / **The Commissioner (Appeals), Cochin.**

प्रति / Copy to :

अधीक्षक (सिस्टम) एईबीएस मशीनों को स्थापित करने के लिए ।

The Superintendent (Systems) for installing the AEBAS machines.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404


GEXCOM/HQR/MISC/7/1/2022-HQRS-O/oPrCOMM-CGST-KOCHI

दिनांक: 28.12.2022

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : ग्रीन एसी 3501<5200 सहित 4 व्हेलपूल स्प्लिट एयर कंडीशनर
की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति - सम्बंधित ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से ग्रीन एसी 3501<5200 सहित 4 व्हेलपूल स्प्लिट एयर कंडीशनर की खरीद के लिए 1,46,080 रुपये (एक लाख छियालीस हजार आठ रुपये मात्र) की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

भवदीया

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/7/1/2022-HQRS-O/oPrCOMMR-CGST-KOCHI

दिनांक: 28.12.2022

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : इलेक्ट्रॉनिक झुकाव तंत्र के साथ 6 बीओएसक्यू घूमने वाली कुर्सियों की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति - सम्बंधित ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक झुकाव तंत्र के साथ 6 बीओएसक्यू घूमने वाली कुर्सियों की खरीद के लिए 71,340 रुपये (इकहतर हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

भवदीया

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त

I/795103/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt

Date: 11.10.2022

ORDER NO. 86/2022

**Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners
 of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
 - Reg**

In partial modification of Order No.65/2022 dated 26.07.2022, the following changes in the work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

2. Shri. Anwar Ali T.P., Additional Commissioner is assigned the charge of Establishment, Personnel & Vigilance and supervision of Thrissur Division along with adjudication and all legacy work of this division. Shri. Shaji John, Joint Commissioner is assigned the charge of Administration, Bhavishya and Accounts. Dr. J. Harish, Joint Commissioner is assigned the charge of CRU, Official Language and supervision of Chalakudy Division along with adjudication and all legacy work of this division.

3. Accordingly, the revised work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	Headquarters Preventive, Prosecution, Public Relations, Sports, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat,	Shaji John, Joint Commissioner	J. Harish, Joint Commissioner

Done
22/11/2022.

I/795103/2022

		Establishment, Personnel & Vigilance; Supervision of Idukki and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.		
2.	Shaji John, Joint Commissioner	Audit, Tax Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), Review, GST Seva Kendra, Verification Cell, Administration, Bhavishya, Accounts ; Supervision of Perumbavoor and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	J. Harish, Joint Commissioner	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner
3.	J. Harish, Joint Commissioner	Legal, CAT, Technical, Statistics & Intelligence, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell, DGARM, Systems, Systems Manager, CRU, Official Language; Supervision of Aluva, Ernakulam and Chalakudy Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	Shaji John, Joint Commissioner

I/795103/2022

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 11-10-2022 16:58:38

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

I/795111/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/20/2022-Estt

Date: 11.10.2022

ORDER NO. 87/2022

**Sub: Transfer and postings in the grade of Lower Division Clerk
 – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.**

The following transfer and postings in the grade of Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri.)	Employee Code	Transferred	
			From	To
1.	Rakesh K.R., LDC	9869	Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work	Headquarters Section and Caretaker, Hqrs Kochi
2.	Karun Vijay M., LDC	2711	Headquarters Section, Hqrs Kochi.	Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by C T Bindu

Date: 11-10-2022 16:59:24

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

down
 14/12/2022

I/795111/2022

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent(Headquarters), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/795099/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: .10.2022

ORDER NO. 88/2022

Sub: Transfer & Postings in the grade of Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (Shri.)	Emp. Code	From	To
1	K.A. Ninan, Head Havaldar	8662	UoT to (Airport/UB/I&E, Karipur) Commissioner of Customs (Preventive), Kochi	CCO-CCA (DGGI)

- The officer should join his new place of posting latest by 21.10.2022.
- All representations received as on date have been disposed of.
- This is issued with the approval of the Competent Authority.
- Report compliance by 27.10.2022.
- Hindi Version follows.

Signed by C T Bindu

Date: 11-10-2022 16:58:19

[C.T. Bindu]
 Deputy Commissioner(P&V)

Done
 14/12/2022

I/795099/2022

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Deputy / Assistant Commissioner of Customs, Airport, Karipur/ Trivandrum.**
4. **The Deputy / Assistant Commissioner of Customs, ACC (UB), Karipur/ Trivandrum.**
5. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
8. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/798231/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: 11.10.2022

ORDER NO. 89/2022

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

In partial modification to Order No. 71/2022 dated 18.08.2022, the following change in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered:

2. Smt. Maya Chandran, Assistant Commissioner, is assigned the charge of DGARM.
3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	C.T. Bindu	Administration, P&V, CRU, OLIC, Adjudication & Systems	Harrison Antony	Maya Chandran
2.	Shanthi V.	Aluva Division	Maya Kurian	Ajitha P.
		Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Maya Chandran	C.T. Bindu

Done
14/12/2022

I/798231/2022

3.	Harrison Antony	Anti Evasion, Headquarters, Prosecution, Verification Cell & Legal	C.T. Bindu	Shanthi V.
4.	Maya Chandran	Audit, RTI (CPIO), Training, Review, Tax Arrear Recovery, SVLDRS, GST Cell & DGARM	Shanthi V.	Harrison Antony
5.	Anil Raj R.	Ernakulam Division	Ajitha P.	Maya Kurian
6.	Ajitha P.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Shanthi V.
7.	Maya Kurian	Chalaky Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
8.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Kurian	N.S. Jayasree
9.	N.S. Jayasree	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
10.	Roy Varghese	Idukki Division, Infrastructure, Welfare & Sports	N.S. Jayasree	Ajitha P.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 13-10-2022 07:02:15

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise,**

Hq, Kochi - for uploading
on website

I/798686/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: 13.10.2022

ORDER NO. 89/2022

Sub: Transfer & Posting in the grade of Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

In partial modification to Order No. 81/2022 dated 23.09.2022, the following transfer & posting in the grade of Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (Shri.)	Emp. Code	From	To
1	Christopher N.A., Head Havaldar	8364	UoT to Thodupuzha Range	Ernakulam Range-1, 2, 3, 4, 5 & 6

- The above officer must be relieved and should join his new place of posting latest by 21.10.2022.
- Report compliance on 27.10.2022.
- Hindi Version follows.

Signed by C T Bindu

Date: 13-10-2022 12:38:45

[C. T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

done
14/12/2022

I/798686/2022

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/800657/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 14.10.2022

ORDER NO. 90/2022

Sub: Transfer and postings in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grade of Stenographer Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Habby Sheeban	17.11.1977	DGGI Kochi Zonal Unit (local rotational transfer basis from CCO-CCA)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi.
2.	Ankit Kumar	13.06.1996	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi (Temporary posting on working arrangement basis)	JC(Adjn)'s and JC(Audit)'s Unit, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by C T Bindu
 Date: 14-10-2022 12:16:35

[C.T. Bindu]
 Deputy Commissioner [P&V]

done
 14/12/2022
 15

I/800657/2022

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Audit.**
3. **The Additional Director General, DGGI, Kochi Zonal Unit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise, Audit Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/806418/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: .10.2022

ORDER NO. 91/2022

**Sub: Transfer & Postings in the grade of Head Havaldar -
 Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.**

The following transfer & postings in the grade of Head Havaldars of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Emp. Code	From	To
1.	Joy P.V., Head Havaldar	8365	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi	Hqrs, Kochi, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Praveen V. Nair, Head Havaldar	2525	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi

2. The officers should join their new place of posting latest by 28.10.2022.
3. All representations received as on date have been disposed of.
4. This is issued with the approval of the Competent Authority.

Done
15/12/2022

I/806418/2022

5. Report compliance by 04.11.2022.
6. Hindi Version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 18-10-2022 16:23:15

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 18.10.2022

ORDER NO. 92/2022

Sub: Transfer and postings in the grades of Private Secretary /Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Private Secretary/Stenographer Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Smt.)	Emp Code	Transferred	
			From	To
1.	Rani Soman, Private Secretary	12	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi.	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi.
2.	Habby Sheeban, Stenographer Gr-II	9166	UOT to Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi.	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi.

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
 Date: 18-10-2022 16:21:45

[Anwar Ali T.P.]
 Additional Commissioner [P&V]

dove
 15/12/2022

I/806409/2022

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Audit/Appeals.**
3. **The Additional Director General, DGGI, Kochi Zonal Unit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi/Appeals/Audit.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/811941/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT.

Date: .10.2022

ORDER No. 93/2022**Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.**

In continuation to this office Order 83/2022 dated 22.09.2022, the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Shatrughn Kumar	20-10-1989	UoT to Adjudication Section, Hqrs, Kochi	Retained at Perumbavoor Division
2	Vikrant Kumar Verma	09.02.1993	UoT to Perumbavoor Division	Adjudication Section, Hqrs, Kochi
3	Sukumaran M	25.05.1974	UoT to Kattappana Range	Aluva Range
4	Ravichandra K	20.08.1992	Aluva Range	Eloor Range

Recd/
dow
15/12/2022

I/811941/2022

5	Kanhaiya Kumar	10.09.1993	UoT to Ernakulam Range 4	Retained at Kattappana Range
6	Adarsh Kumar	05.12.1994	UoT to Thrissur Division	Perumbavoor Division
7	Eudrik Pereira	06.10.1988	Eloor Range	Aluva Division

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 31.10.2022. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **04.11.2022**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 21-10-2022 11:17:17

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

I/811941/2022

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

1/821921/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
File No. II/(25)/38/2020-ESTT. Date: 31.10.2022

ORDER No. 94/2022

Sub: Voluntary retirement from service in respect Smt. Raji K.R., Superintendent, CPD Thrissur, Customs Preventive Commissionerate - reg.

In terms of the provisions of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Smt. Raji K.R., Superintendent, CPD Thrissur, Customs Preventive Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from **31.10.2022 A.N** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to her representation dated 14.10.2022.

2. It is informed that her request to relax the requirement of notice of three months period has been accepted by the competent authority, subject to the condition that the Government servant shall not apply for commutation of a part of her pension before 14.01.2023 (i.e, the date of expiry of the period of notice of three months). An undertaking to this effect may be submitted by the officer to this office immediately.

3. All dues in respect of Smt. Raji K.R., Superintendent pending if any, may be recovered from her retirement benefits as per rules.

Signed by Bindu C T
Date: 31-10-2022 16:56:57

(C.T. BINDU)
DEPUTY COMMISSIONER (P&V)

done
15/12/2022

I/821921/2022

To:

**Smt. Raji K.R.,
Superintendent, (Through the Supervisory Officer concerned)
Customs Preventive Division, Thrissur,
Customs Preventive Commissionerate,
Cochin.**

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

- 1. The Assistant Commissioner of Customs, Customs Preventive Division, Thrissur.** – *He may obtain the declaration as mentioned in para 2 above from the officer and also the 'No due certificate' from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.*
- 2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Commissionerate of Customs Preventive.**
- 3. The Administrative Officer (DDO), Customs Preventive Division, Thrissur.**
- 4. The Superintendent (Confl./Vig.), CCP/ Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
- 5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
- 6. The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
- 7. Hindi Cell – for Hindi Version**

I/857707/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 95/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74093)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. SABIN EAPEN ADICHITHRA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. SABIN EAPEN ADICHITHRA is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SABIN EAPEN ADICHITHRA** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or

done
15/12/2022
25/10/2022
30/01/2023
08/02/2023
09/02/2023
01/02/2023

extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:15:39

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. SABIN EAPEN ADICHITHRA,
ADICHITHRA HOUSE, MANNADISALA P.O,
VECHOOCHIRA, PATHANAMTHITTA, KERALA -
686511**

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/857701/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 96/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
 & CCA/Inspector/74094)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
 Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
 2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. NITHIN JOSEPH**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. NITHIN JOSEPH is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. NITHIN JOSEPH** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

Abm
 10/11/2023

I/857701/2022

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 18:14:33

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NITHIN JOSEPH
TC 14/1710, PUTHENTHARAYIL, KADACKAL LANE
MEDICAL COLLEGE P.O,
KANNAMMOOLA THIRUVANANTHAPURAM, KERALA -
695011

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 97/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74105)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. VINAY KUMAR V**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and EWS certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. VINAY KUMAR V is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. VINAY KUMAR V** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

Done
10-02-2022

I/857672/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 98/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74106)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. CHETAN SHARMA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and EWS certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. CHETAN SHARMA is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. CHETAN SHARMA** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

done
10/02/2023
13/02/2023

I/857672/2022

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:09:32

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. CHETAN SHARMA
WARD NO 1, DURGA COLONY,
NOHAR, HANUMANGARH
P.O,
RAJASTHAN - 335523

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.

I/857672/2022

5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857160/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 99/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74107)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ASWANTH RAJ**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S C** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ASWANTH RAJ is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ASWANTH RAJ** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

Done
13/02/2023

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 16:17:59

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. ASWANTH RAJ
AJITH HOUSE NEAR RAILWAY STATION,
KOYILANDY P.O, KOZHIKODE, KERALA-
673305**

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax

I/857160/2022

& Central Excise, Kochi.

6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857171/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 100/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74108)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 – Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ARUN S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S C** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ARUN S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ARUN S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

done
13/02/2023

I/857171/2022

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST /EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST /EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 16:19:18

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ARUN S
HARIJAN COLONY, BLOCK NO
25,
PUNNAPRA P.O, ALAPPUZHA,
KERALA - 688004.

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

I/857171/2022

3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857646/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 101/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74109)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 – Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. PRADUMAN SINGH**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S C** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. PRADUMAN SINGH is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. PRADUMAN SINGH** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

Done
13/02/2023

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 18:03:50

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRADUMAN SINGH
A-117 SHANTI COLONY,
MANDI PAHARI, SOUTH
DELHI,
DELHI. PIN: 110047

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

I/857646/2022

5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857174/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 102/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74110)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. SANJAY**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. SANJAY is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SANJAY** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

done
13-02-2023

I/857174/2022

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 16:20:43

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SANJAY
S/O SATISH KUMAR, HOUSE NO.
36,
STREET NO.1,
VILLAGE LODHANA, BOLNI P.O,
DIST - REWARI,
HARYANA, PIN: 123401

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

I/857174/2022

4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857670/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 103/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74112)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ASHOK KUMAR MEENA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S T** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ASHOK KUMAR MEENA is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ASHOK KUMAR MEENA** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry

down
13/07/2023

I/857670/2022

of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:08:51

[**MANEESH KUMAR**]
COMMISSIONER

To

**SHRI. ASHOK KUMAR MEENA
P-13, SECOND FLOOR,
SOUTH EXTENSION PART - II, NEW DELHI
110049,
SOUTH DELHI - 110049**

Copy submitted to:

- 1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
- 2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
- 3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
- 4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
- 5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax**

I/857670/2022

- & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
 9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/857687/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 104/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74097)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SMT. KRISHNA S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.10.2022 (F.N)**.

2. SMT. KRISHNA S is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SMT. KRISHNA S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

Done
13/02/2022

period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 18:11:50

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SMT. KRISHNA S,
KAMALAYAM KADAVOOR, PERINAD P.O,
THRIKKADAVOOR, KOLLAM KERALA- 691601.**

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 105/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74099)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 – Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ASHOK P**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ASHOK P is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ASHOK P** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

done
13/10/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 106/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74100)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. DENNY GEORGE**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. DENNY GEORGE is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. DENNY GEORGE** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

Done
13/02/2022

I/857690/2022

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 18:12:23

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. DENNY GEORGE,
ANIKOTTIL HOUSE, AVOLY P.O,
MUVATTUPUZHA ERNAKULAM, KERALA - 686670.**

Copy submitted to:

- 1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
- 2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
- 3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
- 4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
- 5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

9. Hindi call - for Hindi version

I/857179/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 107/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
 & CCA/Inspector/74115)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
 Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
 2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. JITENDRA KUMAR MANDAL**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR/OH** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. JITENDRA KUMAR MANDAL is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. JITENDRA KUMAR MANDAL** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or

Unreserved UR - अनारि शि
 or the post OH - आर्य विक्रम
 -cally
 handicapped 3/02/2023
 14/02/2023

I/857179/2022

extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 28-11-2022 15:07:33

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. JITENDRA KUMAR MANDAL,
S/O THAKUR MANDAR,
VILL-HATHIYAPATHAR P.O-BANDO,
HARIPUR PS-DUMKA MUFFASIL DIST-
DUMKA,
STATE- JHARKHAND. PIN: 814101.

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 108/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thiruvananthapuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74103)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ABHIJITH K S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **27.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ABHIJITH K S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ABHIJITH K S** is not fit for permanent absorption or if at

done
14/02/2023

I/857693/2022

any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:13:03

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. ABHIJITH K S
HARISREE VARIKKAPLAVILA VEEDU,
RAMAPURAM ATHIYANNOOR,
THIRUVANANTHAPURAM, KERALA -
695123**

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise,**

I/857693/2022

Kochi.

9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 108/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74103)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 – Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ABHIJITH K S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **27.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ABHIJITH K S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ABHIJITH K S** is not fit for permanent absorption or if at

I/857712/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 109/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74089)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. BALAGOPAL B**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. BALAGOPAL B is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. BALAGOPAL B** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

done
14/02/2023

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:16:12

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. BALAGOPAL B,
MINI COTTAGE, VKRA-97 FORT WARD NEYYATTINKARA,
THIRUVANANTHAPURAM,
KERALA-695121

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 110/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74095)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 – Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. NIKHIL S BABU**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. NIKHIL S BABU is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. NIKHIL S BABU** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

abw
14/10/2023

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:14:04

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NIKHIL S BABU,
KP 11/800 NRA C4 KRISHNA KRIPA
CHUNDAVILA LANE PEROORKADA P.O,
THIRUVANANTHAPURAM, KERALA- 695005

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 111/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO
 & CCA/Inspector/74104)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
 Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
 2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ANIL S KUMAR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.10.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ANIL S KUMAR is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ANIL S KUMAR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of

done
14/12/2023

V/857682/2022

such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:10:47

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ANIL S KUMAR,
49 1251 C NEELANJANAM,
PONEKKARA ROAD EDAPPALLY,
ERNAKULAM, KERALA- 682024

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 112/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/Inspector/74102)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. NIBIN K N**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **02.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. NIBIN K N is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. NIBIN K N** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

olom
14/12/2023

I/857683/2022

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 22-11-2022 18:11:18

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NIBIN KN,
KARIMBIL HOUSE, PALLAM P.O,
DESAMANGALAM VIA, THRISSUR, KERALA - 679532

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/857661/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 114/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/Inspector/74090)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. JINU M R**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.11.2022 (F.N)**.

2. **SHRI. JINU M R** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. JINU M R** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

Done
14/02/2023

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:06:59

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. JINU M R,
MACHATH HOUSE, KINAVALLUR
WEST
PARLI (POST),
PALAKKAD, KERALA - 678612

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 115/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
 & CCA/Inspector/74096)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
 Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
 2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. ROSHAN THOMAS GEORGE**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **U R** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. ROSHAN THOMAS GEORGE is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ROSHAN THOMAS GEORGE** is not fit for permanent

dom
14/11/2022

I/857657/2022

absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:06:26

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ROSHAN THOMAS GEORGE
KUNNAMALLIL HOUSE,
KATTUMUNDA, NADUVATH P.O,
WANDOUR VIA, MALAPPURAM DISTRICT. PIN:
679328

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. *The Supdt. (Systems), C. Tax & C. Exi, Kochi*
9. *Hindi Cell - for Hindi version.*

1/857005/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 116/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO
 & CCA/Inspector/74098)

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
 Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
 2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. MOHAMMED MUSTHAFA RASHEED A.K.**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **U R** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.11.2022 (F.N).**

2. SHRI. MOHAMMED MUSTHAFA RASHEED A.K is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. MOHAMMED MUSTHAFA RASHEED A.K** is not fit for

dom
 14/02/2023

permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:05:52

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. MOHAMMED MUSTHAFA RASHEED AK
ALAKKADAN HOUSE, ARIKKUZHI,
PALAKKALVETTA POST,
MALAPPURAM DISTRICT. PIN: 679327**

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax &**

I/857655/2022

Central Excise, Kochi.

7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 117/2022

**(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74101)**

**Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax &
Central Excise through Staff Selection Commission CGLE
2019 - Reg.**

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. AJITHKRISHNAN V.S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **U R** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. AJITHKRISHNAN V.S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. AJITHKRISHNAN V.S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is

satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:13:34

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AJITHKRISHNAN VS
MANGALATHU VEEDU,
KULAKKUDI,
VELAMANOOR P.O, PARIPALLY,
KOLLAM, KERALA.
PIN: 691574

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

8. The Supdt. (Systems) C. Tax & C-Exi, Kochi
9. Hindi Cell - for Hindi version.

I/857649/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 118/2022

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO
& CCA/Inspector/74113)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. DINESH KUMAR MEENA (DOB: 01.03.1995)**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S T** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. DINESH KUMAR MEENA (DOB: 01.03.1995) is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. DINESH KUMAR MEENA (DOB: 01.03.1995)** is not fit for

Done
29/11/2022
17-02-2023

I/857649/2022

permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS/ OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS/ OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 22-11-2022 18:04:39

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. DINESH KUMAR MEENA,
S/O SOOA LAL MEENA,
VILLAGE PAVAINI, POST: SARMATHURA,
TEHSIL: SARMATHURA, DISTRICT: DHOLPUR
STATE: RAJASTHAN
PIN: 328026**

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

I/857649/2022

3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/861128/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/(39)/72/2021 Estt.

Dated: 16.11.2022

ORDER NO. 119/2022

**Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme -
Reg.**

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1 st / 2 nd / 3 rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Baiju R, Supdt.	23.04.1971	3 rd	20.11.2022	Level 10
2.	Rejith S, Supdt.	31.05.1973	3 rd	01.09.2022	Level 10
3.	Jayasree P, Supdt.	16.02.1963	3 rd	31.12.2017	Level 10
4.	Santhosh Kumar P.V, Supdt.	25.05.1973	3 rd	31.10.2013	Level 8
5.	Raji D.R, Supdt.	15.11.1967	3 rd	11.12.2021	Level 10
	Shashi Kant	02.10.1982			Level 8

done
14/02/2023
15/02/2023

6.	Singh, Inspr		1 st	28.02.2023	
7.	Sini Brigit Thomas, Inspr	11.07.1973	3 rd	23.12.2022	Level 9
8.	Arvind Kumar Kajla, Inspr	19.08.1985	1 st	30.01.2023	Level 8
9.	Gulshan Kumar, Inspr	08.11.1985	1 st	17.09.2022	Level 8
10.	Kamal Kumar, Inspr	13.10.1988	1 st	25.10.2022	Level 8
11.	Sunil Gopinathan, Inspr	13.06.1969	3 rd	17.10.2013 *	Level 8
12.	Prafull Bhandari, Inspr	28.03.1991	1 st	25.10.2022	Level 8
13.	Santosh Rawat, Inspr	15.07.1984	1 st	03.09.2022	Level 8
14.	Viresh Mishra, Inspr	04.09.1985	1 st	14.03.2023	Level 8
15.	Badal Gaffoor A, Inspr	13.05.1986	1 st	06.09.2022	Level 8
16.	Parivesh Kumar Swami, Inspr	23.01.1986	1 st	04.09.2022	Level 8
17.	Chetan Gupta, Inspr	05.11.1984	1 st	05.11.2022	Level 8
18.	Shyam Kumar Sharma	10.03.1984	1 st	03.09.2022	Level 8
19.	Rajneesh, Inspr	20.03.1983	1 st	31.12.2022	Level 8
20.	Arvind Gulia, Inspr	24.10.1986	1 st	06.09.2022	Level 8
21.	Vivek Kumar Trivedi, Inspr	01.12.1989	1 st	27.09.2022	Level 8
22.	Sahadevan V, H.Havaladar	05.07.1962	3 rd	22.02.2021	Level 4
23.	K.P.Venugopalan, H.Havaladar	22.05.1965	3 rd	18.02.2022	Level 4
24.	Unnikannan P.O, H.Havaladar	31.05.1973	3 rd	04.01.2023	Level 4

25.	Andrew Paul M.G, H.Havaladar	15.01.1964	3 rd	30.01.2022	Level 4
26.	Anil Kumar P.M, H.Havaladar	09.05.1964	3 rd	17.02.2022	Level 4
27.	Geetha K.N,MTS	17.02.1963	2 nd	20.05.2022	Level 3
28.	Chandrashekhara K, H.Havaladar	15.09.1964	3 rd	25.02.2021	Level 4
29.	Rajan K T M, H.Havaladar	17.07.1963	3 rd	17.02.2022	Level 4
30.	Krishnakumar K, MTS	02.01.1963	3 rd	09.01.2022	Level 4

2. Financial upgradation granted to these officers is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiaries i.e., the financial benefits are granted with the retention of their old designations and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbents (officers) and shall not amount to actual functional promotions of the officers concerned. Further, it shall have no relevance to their inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officers on the ground that the junior officers have got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "**Senior-Junior**" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay

than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On their financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4 . This issues with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 24-11-2022 11:39:52

(Anwar Ali T.P.)

Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (through the Supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

I/861128/2022

Copy to:

1. **The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.**
3. **The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy Division.**
4. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/ AO(DDO) Hqrs. Kochi.**
5. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
6. **Hindi Cell of Kochi Commissionerate.**
7. **The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.**

I/872594/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER No. 120/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	BALAGOPAL B	24.01.1993	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	JINU M R	01.10.1993	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3	DILEEP M	22.03.1990	CGLE 2019 New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
4	MARIAM LISA JOHN	09.01.1998	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
5	SABIN ADICHITHRA EAPEN	27.09.1995	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

Done
 15/02/2023
 18/02/2023
 21-02-23
 22-02-23

I/872594/2022

6	NITHIN JOSEPH	05.09.1995	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	NIKHIL S BABU	03.09.1994	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	ROSHAN THOMAS GEORGE	10.08.1991	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
9	KRISHNA S	06.06.1995	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
10	MOHAMMED MUSTHAFA RASHEED A K	11.08.1994	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
11	ASHOK P	29.05.1996	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
12	DENNY GEORGE	16.03.1995	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	AJITH KRISHNAN V S	09.08.1994	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
14	NIBIN K N	09.04.1996	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
15	ABHIJITH K S	06.10.1995	<i>CGLE 2019 New Recruit</i>	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

I/872594/2022

16	ANIL S KUMAR -	08.02.1990	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
17	VINAY KUMAR V	28.01.1990	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
18	CHE TAN SHARMA	16.02.1995	CGLE 2019 New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
19	ASWANTH RAJ	19.10.1993	CGLE 2019 New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
20	ARUN S	02.11.1993	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
21	PRADUMAN SINGH	25.09.1998	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
22	SANJAY	20.02.1998	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
23	ASHOK KUMAR MEENA	03.10.1994	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
24	DINESH KUMAR MEENA	01.03.1995	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
25	JITENDRA KUMAR MANDAL	06.08.1996	CGLE 2019 New Recruit	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

I/872594/2022

26	DINESH KUMAR MEENA (No.II)	05.05.1996	CGLE 2019 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
27	AJEET SINGH CHOUDHARI	17-08-1988	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
28	VIRENDRA KUMAR	10-01-1979	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
29	ANANDHU NANO UDAYANAN	11.04.1990	Central Tax & Central Excise Commissioneate, Thiruvananthapuram	DRI Thiruvananthapuram Regional Unit, CCO- CCA

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 28.11.2022. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissioneate and DRI formations, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioneate of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

6. Report compliance by **30.11.2022**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-11-2022 15:33:07

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

I/872594/2022

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/35/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 121/2022

Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/Inspector/74092

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **KUM. MARIAM LISA JOHN**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.11.2022 (F.N)**.

2. KUM. MARIAM LISA JOHN is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **KUM. MARIAM LISA JOHN** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her

Down
22/10/2022

1/872655/2022

services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-11-2022 15:40:54

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

KUM. MARIAM LISA JOHN,
ARYANKULAM HOUSE,
PONKUNNAM P.O,
KOTTAYAM, KERALA-686506

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.

9. Hindi Call-for Hindi version.

I/872805/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/72/2021-Estt

Date: .11.2022

ORDER NO. 121/2022

Sub: Corrigendum to Order No. 119/2022 – Reg.

In the Order No. 119/2022 dated 16.11.2022, the foot note for the asterisk mark in respect of Serial No. 11, Shri Sunil Gopinathan, Inspector, may be read as "*the recommendation of the Screening Committee meeting held on 20.09.2016 granting 3rd MACP on 06.12.2012 in r/o Shri Sunil Gopinathan, Inspector (communicated vide MACP Order No. 152/2016 dated 26.09.2016) is reviewed as per Board's letter F.No.A-26017/214/2017-Ad.II A dt.14.07.2021*".

This is issued with the approval of the competent authority.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 30-11-2022 16:03:12

Reason: Approved

[ANWAR ALI T P]

ADDITIONAL COMMISSIONER [P&V]

To:

The Individuals (through the Supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

down
22/02/2023

I/872805/2022

1. **The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.**
3. **The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy Division.**
4. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/ AO(DDO) Hqrs. Kochi.**
5. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
6. **Hindi Cell of Kochi Commissionerate.**
7. **The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/35/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 122/2022

Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/Inspector/74091

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. DILEEP M**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **17.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. DILEEP M is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. DILEEP M** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

Done
 22-03-2023

1/872649/2022

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-11-2022 15:40:23

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. DILEEP M
SAI SOUDHAM, MANTHAKKAD,
MALAMPUZHA P.O,
PALAKKAD, KERALA - 678651

Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/35/2022-ESTT.

Date: .11.2022

ORDER NO. 123/2022

Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/Inspector/74114

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2019 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 21.10.2022, **SHRI. DINESH KUMAR MEENA (DOB: 05.05.1996)**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III.B dated 13.07.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S T** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **22.11.2022 (F.N)**.

2. SHRI. DINESH KUMAR MEENA (DOB: 05.05.1996), is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI DINESH KUMAR MEENA (DOB: 05.05.1996)**, is not fit for

done
22/11/2022

I/872661/2022

permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / EWS / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/EWS/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-11-2022 15:41:32

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. DINESH KUMAR MEENA
S/O RAM PRATAP MEENA,
45-B PREM VIHAR COLONY, MACHH KI PIPLI,
GONER ROAD,
JAIPUR, RAJASTHAN 302031.**

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise,**

I/872661/2022

Thiruvananthapuram / Kozhikode.

2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/876316/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT.

Date: 01.12.2022

ORDER No. 124/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1.	BALAGOPAL B	24.01.1993	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Division
2.	MARIAM JOHN LISA	09.01.1998	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Kakkanad Range 2
3.	SABIN ADICHITHRA EAPEN	27.09.1995	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Kolenchery Range
	NITHIN JOSEPH	05.09.1995	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Range 4

I/876316/2022

5.	NIKHIL S BABU	03.09.1994	<i>Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi</i>	Vigilance Section, Hqrs. Kochi
6.	DENNY GEORGE	16.03.1995	<i>Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi</i>	Kothamangalam Range
7.	ANIL S KUMAR	08.02.1990	<i>Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi</i>	Perumbavur Division
8.	SANJAY	20.02.1998	<i>Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi</i>	Ernakulam Division
9.	POOJA GUPTA	06.12.1985	<i>UoT to Kochi Commissionerate (vide CCO's GCCO/II/(39)/43/20 21-ADMN dated 04.11.2022)</i>	Review Section, Hqrs, Kochi
10.	SANJAY PRADEEP	10.03.1996	<i>Audit Section, Hqrs, Kochi with addl. Charge of RTI/Training Section</i>	Audit Section, Hqrs, Kochi
11.	PRIYANKA PUSHPAD	01.07.1992	<i>Tax Arrear Section, Hqrs, Kochi</i>	<i>Tax Arrear Section, Hqrs, Kochi with addl. Charge of RTI/Training Section</i>

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers (except Sl. Nos 1 to 8) are to join their new place of posting latest by 05.12.2022. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

I/876316/2022

3. The officers at Sl.Nos 1 to 8 (*New recruits of CGLE 2019 Batch*) shall join their respective places of posting after completion of the '*Arms & Parade training*' **to be held from 05.12.2022 to 21.12.2022 at Kerala Police Academy (KEPA), Thrissur**. The officers are required to report before AD (Outdoor), KEPA on **04/12/2022 at 4 pm** for the training.
4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.
5. Report compliance by **23.12.2022**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-12-2022 17:41:31

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/876255/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT.

Date: .12.2022

ORDER No. 125/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Mohan Joseph, Superintendent	25-05-1968	Audit Section, Hqrs, Kochi with addl. Charge of RTI/Training Section	Audit Section, Hqrs, Kochi
2	Resmi R, Superintendent	20-05-1970	Tax Arrear Section, Hqrs, Kochi	Tax Arrear Section, Hqrs, Kochi with addl. Charge of RTI/Training Section
3	Mohan K K, Superintendent	14-03-1966	UoT to Kochi Commissionerate (vide C.No.II/39/01/2022. Vig.Cx.Chn dated 22.11.2022)	Perumbavoor Division

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 05.12.2022. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

1/876255/2022

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **09.12.2022**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-12-2022 17:33:13

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
 File No. **II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.** Date: **.12.2022**

ORDER No. 127/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax and Central Excise - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted **on Ad-hoc and in-situ basis** to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Date of Birth
1.	SUNIL KUMAR K.	31.05.1971
2.	BEENA A.	06.04.1972
3.	ARUN R.	21.12.1985
4.	ARUN KUMAR A. VIJAYAN	21.08.1986
5.	KAVITHA L.	21.11.1972
6.	AKHIL T K (SC)	17.04.1991
7.	T SESHU VENKATA KANTH (SC)	06.03.1990
8.	MANISH KUMAR KHATANA (SC)	19.12.1992
9.	SANDEEP KUMAR (SC)	04.04.1990
10.	S PRANAY (SC)	09.03.1988
11.	JACOB JOSEPH (ST)	02.06.1986
12.	POTHURAJU SIVA PRASAD (ST)	23.05.1990
13.	BHASKARNATH	05.08.1987
14.	KAPIL DEV SURIRA	16.04.1983
15.	SEENA A. MALETH	09.01.1973
16.	MINIMOL T.	03.05.1971

I/928429/2022

2. The officers mentioned at Sl.No.s **1 to 12**, except Sl.No.9 should join the higher post immediately and not later than **06.01.2023**, and the officers at Sl.No.s **13 to 16** should join only on or after **01.01.2023** and not later than **09.01.2023**. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.

3. The officer at **Sl.No.9** who is working on Loan basis in the CBIC, New Delhi shall assume the charge of Superintendent only after re-joining in the parent Zone, and not later than **09.01.2023**.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **13.01.2023**.

6. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-12-2022 16:26:03
[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**

I/928429/2022

5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt.

Dated: .12.2022

ORDER No. 128/2022

**Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector
(Weapons)- Reg.**

The following Head Havaldars are hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the new post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Employee code	Present Commissionerate
1.	Raphel Rajan V.T.	3162	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post latest by **13.12.2022**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

Done
24/03/2023

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 18.12.2022.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 30-12-2022 17:14:00

Reason: Approved
(Anwar Ali T.P.)

Additional Commissioner (P&V)

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
3. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi - for uploading in website.**
5. **Hindi Cell - for Hindi Version.**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**

1/8160/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचीन, I.S. PRESS ROAD, COCHIN-682018
Phone: 0484-2390404

E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com

दिनांक/Date: 26.10.2022

F. No. GEXCOM/VIG/MISC/491/2022-VIG

Sub: Observance of Vigilance Awareness Week, 2022 - Reg

As you are aware, the Vigilance Awareness Week, 2022 is being observed from 31st October, 2022 to 06th November, 2022. The theme for this year's Vigilance Awareness Week is "Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत- विकसित भारत". CVC has issued a Circular No. 20/09/2022 dated 08/09/2022 which may be downloaded from the CVC website "<https://cvc.gov.in>".

2. All controlling officers of the Commissionerate/ Divisions/ Ranges are directed to observe the "Vigilance Awareness Week" in adherence with the Circular cited above.
3. All the divisional heads are directed to organize the activities by giving emphasis and focus on **Preventive Vigilance cum internal housekeeping Activities** which are to be taken up in campaign mode as part of the Vigilance Awareness Week as enumerated in the circular.
4. You are also directed to visit the CVC website <https://cvc.gov.in> during the week and participate/ take the online Integrity Pledge as a citizen. The certificate of commitment shall be generated at the end of the Integrity Pledge.
5. The divisional heads shall formulate suitable action plan at their respective offices to observe "Vigilance Awareness Week" in a befitting manner.

Done
27/10/2023

I/816087/2022

6. A compliance report on the observance of the "Vigilance Awareness Week" shall be sent in the prescribed proforma to this office, latest by 15th November, 2022.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 26-10-2022 15:06:17

(अनवर अली टी. पी./ Anwar Ali T. P.)

अपर आयुक्त (का. व सत.)/ ADDITIONAL COMMISSIONER (P & V)

To

The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of All Divisions
All Addl./ Joint/ Deputy/ Assistant Commissioners in Hqrs. Office, Cochin.

Copy submitted to:

The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Thiruvananthapuram

Copy to:

1. All Section Heads in Hqrs. Office, Cochin
2. The Superintendent (PRO), Hqrs. Office, Cochin, for making arrangements in connection with the observance of the Vigilance Awareness Week.
3. The Superintendent (Systems) for uploading in website



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचीन, I.S. PRESS ROAD, COCHIN-682018

Phone: 0484-2390404

E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com

File No. GEXCOM/VIG/MISC/629/2022-VIG

सतर्कता परिपत्र सं. 03/2022/ VIGILANCE CIRCULAR No. 03/2022

विषय/Sub: Marking of Attendance in AEBAS System - Resumption of Biometric Attendance- reg.

It has been decided to resume biometric attendance for all levels of employees with immediate effect.

In this regard, the following instructions are issued for strict compliance.

- 1) All officers to mark their attendance in the AEBAS machines with immediate effect.
- 2) All Divisional Assistant/ Deputy Commissioners to ensure proper installation/ working of Biometric Machines.
- 3) All instructions in Vigilance Circular No. 02/2019 dated 17.01.2019 (enclosed) regarding marking of attendance in AEBAS System to be strictly followed.
- 4) It is the duty of the reporting officer to ensure that all the subordinate officers are properly mapped under them and are marking their attendance in the System properly. If the officers are not marking attendance or found absent without leave in the BAS, the reporting/controlling officer will be held responsible. A report regarding the hierarchical structure should be sent by Divisional Offices immediately for proper mapping of officers in AEBAS records.
- 5) All Assistant/Deputy Commissioners are directed to check whether all officers working under them are properly mapped, verify their attendance and check

done
27/03/2023

I/872839/2022

whether the entries made therein are in compliance with the points mentioned in the Circular.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 30-11-2022 16:08:40

[मनीष कुमार/ Maneesh Kumar]
आयुक्त/ Commissioner

To

1. **The Deputy/ Assistant Commissioner, Headquarters Office, Kochi**
[Legal / Review / Adjudication / Anti Evasion / Technical / Statistics & Intelligence / Tax Arrears Recovery / Systems/ Audit / Vigilance / Administration / Establishment / Accounts / Headquarters (PRO) / Central Registry Unit / O.L / RTI-Training]
2. **The Deputy/Assistant Commissioner,**
Ernakulam / Kakkanad / Aluva / Perumbavoor / Thrissur / Idukki / Chalakkudy Division
3. **The Chief Accounts Officer, Hqrs. Office, Kochi**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner (Appeals), Cochin.**

Copy to: The Superintendent (Systems) for installing the AEBAS machines.

10424 3241

I/923108/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
ई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S.PRESS ROAD, KOCHI-682018

E-mail: commradt-cexcok@nic.in Fax: 0484-2397355 Phone: 0484-2391455, 2390404 (PBX)

Date: 28.12.2022

PROCUREMENT THROUGH GEM PORTAL

Sub: Administrative approval and Expenditure sanction for the purchase of 4 nos. of Whirlpool Split Air Conditioner Including Green AC 3501 < 5200 - reg.

This is to certify that the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has accorded administrative approval and expenditure sanction of **Rs. 1,46,080/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Eight Only)** for the purchase of 4 nos. of **Whirlpool Split Air Conditioner Including Green AC 3501 < 5200** through the GeM portal.

Yours Faithfully

Signed by Bindu C T

Date: 28-12-2022 13:13:09

(C T Bindu)
Deputy Commissioner

Done
27/03/2023.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
ई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S.PRESS ROAD, KOCHI-682018

E-mail: commradt-cexcok@nic.in Fax: 0484-2397355 Phone: 0484-2391455, 2390404 (PBX)

Date: 28.12.2022

PROCUREMENT THROUGH GEM PORTAL

Sub: Administrative approval and Expenditure sanction for the purchase of 6 nos. of BOSQ revolving chair with electronic tilt mechanism - reg.

This is to certify that the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has accorded administrative approval and expenditure sanction of **Rs. 71,340/- (Rupees Seventy One Thousand Three Hundred Forty Only)** for the purchase of **6 nos. of BOSQ revolving chair with electronic tilt mechanism** through the GeM portal.

Yours Faithfully

Signed by Bindu C T

Date: 28-12-2022 16:49:03

(C.T Bindu)

Deputy Commissioner

dom
27/03/2023.